International Year of Cooperatives 2025 — Cooperatives Build a Better World

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

International Year of Cooperatives 2025 — Cooperatives Build a Better World

****

No. 2023/TG-I/20/82 **New Delhi, dated 13.03.2026**

Principal Chief Commerial Managers &
Principal Chief Mechanical Engineers,
All Zonal Railways

MD/CRIS
Chanakyapuri,
New Delhi

(Commercial Circular No. 09 of 2026)

Sub: Providing reserved accommodation in LSLRD coaches of fully reserved trains such as Duronto express trains.

Ref: Instructions issued vide Commercial Circular No. 23 of 2023, Commercial Circular No. 06 of 2024 and letter No. 2023/TG-1/20/82 dated 17.03.2025.

In supersession of all the instructions cited above wherein the guidelines for earmarking of accommodation in LSLRD coaches attached in fully reserved trains like Duronto Express trains and methodology to be adopted for catering facility had been issued, the following has been decided: -

i. A new coach class code '2H' shall be defined in the system, mapped to bogie type N-1/NS-1, representing the 2H/2H cum Sleeper attached in LSLRD coach respectively. This class will be equivalent to 2S but without having facility to opt for pre-paid catering.
ii. The entire passenger portion of LSLRD coach having composite composition shall be given Coach Identity “NS”, wherein 'N' would be there for portion having 31/32 reserved 2H class accommodation while ‘S’ would stand for Sleeper accommodation earmarked for Persons with Disabilities.
iii. The portion of LSLRD earmarked for general passengers may be fired as 2H reserved class only and the fare of that class for that category of train may be charged accordingly.
iv. In such trains, the reservation quota in Sleeper class for Persons

with Disabilities (PwDs) shall be earmarked <u>only</u> in the portion of LSLRD earmarked for them on normal fare of the class applicable for that train.

v. Due to technical reasons, both general passengers and PwD passengers booked in SLRD portion (Sleeper class) of newly defined 2H class will not have the option to choose pre-paid catering facility.

vi. Further, the unutilized sleeper class accommodation of this portion shall be released at the time of preparation of first reservation charts to such passengers of normal sleeper class who have not opted for catering as in this case the fare paid by both the passengers will be same. In such cases breach of priority may occur as passengers booked earlier with catering options may not be allotted berths while the passengers who have not opted for catering but booked later may get confirmed. However, keeping in view the technical design aspects of LSLRD coaches where it is not feasible to provide catering and also the fact that number of vacant berths against four berths earmarked for PwDs might be 0-4 and the probability of Sleeper class passengers who will opt for pre-paid catering is low, fractional cases of breach of priority, if any, may be accommodated to provide intended facilities to the passengers and to avoid complaints on this account.

vii. Even if a single passenger has opted for catering, such passenger may not be shifted to LSLRD coach. Onboard ticket checking staff shall also be advised that no passenger who has opted for catering should be shifted to LSLRD coach.

viii. In situations where a coach is damaged and confirmed passengers require relocation to a lower class, 2S confirmed passengers may be shifted to 2H as there is no difference in fare and also at present, pre-paid catering option is not available in both the cases.

ix. However, in no case splitting of passengers between 2S and 2H shall be allowed for confirmed party due to functional and structural constraints.

x. As far as upgradation is concerned, if there is waiting list in 2H class and vacant 2S accommodation is available in the train, they can be considered for upgradation to 2S.

xi. After preparation of first reservation charts and till preparation of second reservation charts, option of catering will not be

available for the passengers booking in Sleeper class of such trains as the system may provide vacant Sleeper class accommodation available in the portion earmarked for PwDs in LSLRD.

xii. Necessary modifications will have to be implemented in HRMS, NTES, ICMS and HHT system to fully support the new 2H class.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

Digitally signed by SANJAY MANOCHA
Date: 13-03-2026 18:39:04

(Sanjay Manocha)
Director/Passenger Marketing-II,
Phone No. 011-23047367
E-Mail ID- manocha.421sanjay@gov.in
Room No. 415-A, 4th Floor,
Railway Board

<u>Copy forwarded for information & necessary action to:</u>

1. CEO & CRB, M(O&BD), Member Finance, Railway Board for information.
2. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
3. EDPG/MR, OSD/MR, JDPG/MoSR(S), Office of MoSR(R) for information.
4. PED/Vig, PED/A, EDTC(R), EDFC, ED(T&C), ED(I&P), Railway Board for information.
5. MD/IRCTC, 2ND Floor, Tower-D, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029
6. General Manager/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
7. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/ Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/ Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
8. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
9. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4,

State Entry Road, New Delhi.

11. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
13. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. Managing Director, Konkan Railway Corporation Ltd, Belapur Bhavan, Plot no. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400 014.
15. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 — सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं — सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 — सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं — सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

*****

सं. 2023/टीजी-I/20/82 **नई दिल्ली, दिनांक 13.03.2026**

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एवं
प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
सभी क्षेत्रीय रेलें

प्रबंध निदेशक,
क्रिस, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली।

(2026 का वाणिज्य परिपत्र सं. 09)

विषय: दूरंतों एक्सप्रेस जैसी पूर्णतः आरक्षित गाड़ियों के एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों में आरक्षित स्थान मुहैया कराना।

संदर्भ: 2023 का वाणिज्य परिपत्र संख्या 23, 2024 का वाणिज्य परिपत्र संख्या 06 और दिनांक 17.03.2025 के पत्र सं.2023/टीजी-1/20/82 के तहत जारी अनुदेश।

उपर्युक्त उल्लेखित सभी अनुदेशों, जिनमें दुरंतो एक्सप्रेस जैसी पूर्णतः आरक्षित गाड़ियों में लगे हुए एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों में स्थान को चिह्नित करने और खानपान की सुविधा के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे, का अधिक्रमण करते हुए निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:

i. आरक्षण प्रणाली में एक नया सवारी डिब्बा वर्ग कोड '2एच' निरूपित किया जाएगा, जो बोगी टाइप एन-1/एनएस-1 के साथ मैप होगा, जो क्रमशः एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों में लगे 2एच/2एच-सह-स्लीपर को दर्शाता है। यह वर्ग 2एस के समान होगा, लेकिन इसमें पूर्व संदत्त खानपान चुनने की सुविधा नहीं होगी।

ii. समग्र संरचना वाले एलएसएलआरडी सवारी डिब्बा के पूरे यात्री भाग को सवारी डिब्बा पहचान "एनएस" दिया जाएगा, जिसमें 'एन' उस भाग के लिए होगा जिसमें 31/32 आरक्षित 2एच श्रेणी का स्थान हो, जबकि 'एस' उस स्लीपर स्थान, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित होगा।

iii. एलएसएलआरडी का वह भाग जो सामान्य यात्रियों के लिए निर्धारित है, उसे केवल 2एच आरक्षित श्रेणी के रूप में माना जाएगा और इस श्रेणी की गाड़ियों के लिए, उसी श्रेणी का किराया तदनुसार लिया जाएगा।

iv. ऐसी गाड़ियों में, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा, केवल एलएसएलआरडी के उस भाग में निर्धारित किया जाएगा जो उनके लिए आरक्षित है; और यह आरक्षण उस गाड़ी के लिए लागू होने वाले श्रेणी के सामान्य किराए पर आधारित होगा।

v. तकनीकी कारणों से, नए रूप से निरूपित 2एच श्रेणी तथा एसएलआरडी भाग (शयनयान श्रेणी) में बुक किए गए सामान्य यात्रियों और दिव्यांग यात्रियों, दोनों के पास पूर्व संदत्त खानपान सुविधा चुनने का विकल्प नहीं होगा।

vi. इसके अतिरिक्त, इस भाग में शयनयान श्रेणी की जो सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें पहला आरक्षण चार्ट तैयार करते समय, उन सामान्य शयनयान श्रेणी के यात्रियों को दे दिया जाएगा, जिन्होंने खानपान का विकल्प नहीं चुना है; ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इस स्थिति में दोनों तरह के यात्रियों द्वारा चुकाया गया किराया एक जैसा ही होगा। ऐसे मामलों में, प्राथमिकता का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि जिन यात्रियों ने खानपान का विकल्प चुनकर पहले बुकिंग की थी, उन्हें शायद बर्थ न मिले, जबकि जिन यात्रियों ने खानपान का विकल्प नहीं चुना, लेकिन बाद में बुकिंग की, उन्हें कन्फर्म सीट मिल जाए। हालाँकि, एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों के तकनीकी डिज़ाइन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जहाँ खानपान की सुविधा देना संभव नहीं है और इस तथ्य को देखते हुए कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित चार बर्थों में से खाली बर्थों की संख्या 0 से 4 के बीच हो सकती है और साथ ही शयनयान श्रेणी के उन यात्रियों की संभावना भी कम है, जो पहले से भुगतान कर खानपान का विकल्प चुनेंगे, ऐसे में, यदि प्राथमिकता के क्रम के उल्लंघन के कुछ आंशिक मामले सामने आते भी हैं, तो यात्रियों को अपेक्षित सुविधाएँ प्रदान करने और इस संबंध में किसी भी शिकायत से बचने के लिए, ऐसे मामलों को समायोजित किया जा सकता है।

vii. यदि एक भी यात्री ने खानपान का विकल्प चुना हो, तो ऐसे यात्री को एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। गाड़ी में टिकट जांचने वाले कर्मचारियों को भी यह सलाह दी जानी चाहिए कि खानपान का विकल्प चुनने वाले किसी भी यात्री को एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों में स्थानांतरित न किया जाए।

viii. ऐसी स्थितियों में, जहाँ कोई सवारी डिब्बा क्षतिग्रस्त हो जाता है और कन्फर्म यात्रियों को निचली श्रेणी में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो 2एस के कन्फर्म यात्रियों को 2एच में स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि दोनों के किराए में कोई अंतर नहीं है और साथ ही वर्तमान में, दोनों ही मामलों में पूर्व-संदत्त खानपान का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

ix. हालाँकि, कार्यात्मक और संरचनात्मक बाधाओं के कारण, किसी भी स्थिति में कन्फर्म पार्टी के यात्रियों को 2एस और 2एच के बीच विभाजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

x. जहाँ तक अपग्रेडेशन की बात है, यदि 2एच श्रेणी में प्रतीक्षा सूचि है और गाड़ी में 2एस में खाली स्थान उपलब्ध है, तो उन्हें 2एस में अपग्रेड करने पर विचार किया जा सकता है।

xi. प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद और दूसरे आरक्षण चार्ट तैयार होने तक, ऐसी गाड़ियों की शयनयान श्रेणी में बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए खानपान का विकल्प

उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रणाली उन्हें एलएसएलआरडी सवारी डिब्बों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित भाग में उपलब्ध खाली शयनयान श्रेणी का स्थान आवंटित कर सकती है।

xii. नई 2एच श्रेणी को पूरी तरह सम्मिलित करने के लिए, एचआरएमएस, एनटीईएस, आईसीएमएस और एचएचटी प्रणालियों में आवश्यक संशोधन लागू करने होंगे।

2. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

13/3/2026

(संजय मनोचा)

निदेशक/यात्री विपणन-II

दूरभाष: 011-23047367

ईमेल आईडी: manocha.421sanjay@gov.in

कमरा नं. 415-ए, चौथा तल,

रेलवे बोर्ड

<u>सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड को सूचनार्थ।
2. सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
3. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री(एस), रेल राज्य मंत्री (आर) के कार्यालय को सूचनार्थ।
4. रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यपालक निदेशक/सतर्कता, प्रधान कार्यपालक निदेशक/(ए), कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्य (दर), कार्यपालक निदेशक वित्त (सी), कार्यपालक निदेशक (आई एंड पी) को सूचनार्थ।
5. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, द्वितीय तल, टॉवर-डी, वर्ल्ड ट्रेड सैंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029.
6. महाप्रबंध/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल/भुसावल, पूर्व रेल/भुली-धनबाद, उत्तर रेल/चंदौसी, पूर्व मध्य रेल/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेल/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेल/त्रिची, दक्षिण मध्य रेल/मौला अली, द.पू.रेल/सीनी, उत्तर पश्चिम रेल/उदयपुर।

8. निदेशक, भारतीय रेलें परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.
9. जनरल सक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
10. जनरल सक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
11. सक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा सं. 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रोमोटी आफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सक्रेटरी जनरल, आल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि., बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 014.
15. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जवाहर लाल नेहरू रोड़, कोलकाता-71.